Journal
Of the
Oriental Institute
M.S. University of Baroda

ISSN: 0030-5324
UGC CARE Group 1

प्रिज़न सिस्टम में कैदियों के मानवाधिकार: रेफॉर्म, चुनौतियाँ और न्यायिक हस्तक्षेप

Naveen Kumar
Research Scholar
University- Baba Mastnath University.

सारांश

यह शोध पत्र भारतीय प्रिज़न सिस्टम में कैदियों के मानवाधिकारों, जेल सुधारों, न्यायिक हस्तक्षेप और वर्तमान चुनौतियों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। प्रस्तावना में जेलों में भीड़-भाड़, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और अमानवीय व्यवहार जैसी समस्याओं को लेकर चिंता जताई गई है, जो कैदियों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 22 तक कैदियों के अधिकारों का संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों ने अनेक निर्णयों द्वारा पुष्टि की है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, नेल्सन मंडेला नियम जैसे मानदंड कैदियों के सम्मानजनक और सुरक्षित व्यवहार के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुए हैं। भारतीय जेलों की संरचना केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के अधीन है, जिसमें भीड़-भाड़, संसाधनों की कमी और प्रशासनिक भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं प्रमुख हैं। साथ ही महिला, ट्रांसजेंडर और मानसिक रोगी कैदियों की विशेष आवश्यकताओं की उपेक्षा एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में सामने आई है। कैदियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन जैसे यौन उत्पीड़न, यातना तथा कानूनी सहायता की असुलभता जेल व्यवस्था की बड़ी समस्याएं हैं। लंबित मामलों के कारण कैदियों की स्थिति अनिश्चित और दयनीय बनी रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने सनिल बत्रा केस, कृष्णन केस तथा तुकराम केस जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों में जेलों में मानवीय सुधारों और अधिकार संरक्षण का आदेश दिया है। सरकार द्वारा प्रस्तावित मॉडल प्रिज़न एक्ट, 2023 जेल सुधारों में क्रांतिकारी बदलाव लाने की कोशिश है जो कैदियों के पुनर्वास, सुरक्षा, चिकित्सा, तथा कानूनी सहायता सुनिश्चित करता है। खुले जेल, तकनीकी सुधार और व्यावसायिक प्रशिक्षण पुनर्वास के प्रमुख पहलू हैं। हालांकि सुधारों में अधोसंरचना की कमी, बजट सीमाएँ, सिस्टम में भ्रष्टाचार और सामाजिक मानसिकता सुधारों में बाधक हैं। बेहतर प्रिज़न प्रबंधन के लिए मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण, न्यायिक प्रक्रिया में तीव्रता और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। भारतीय प्रिज़न प्रणाली के सुधार हेतु न्यायपालिका, प्रशासन और समाज का समन्वित प्रयास आवश्यक है ताकि जेलें दंड केंद्र होने के बजाय सुधार और पुनर्वास के प्रभावी केंद्र बन सकें जिससे कैदियों के अधिकारों का सम्मान हो और वे समाज में सकारात्मक योगदान दे सकें।

ISSN: 0030-5324
UGC CARE Group 1

मुख्य शब्दः कैदी अधिकार, जेल सुधार, न्यायिक हस्तक्षेप, मानवाधिकार, मॉडल प्रिज़न एक्ट 2023, पुनर्वास, नेल्सन मंडेला नियम

प्रस्तावना

भारतीय प्रिज़न सिस्टम में कैदियों के मानवाधिकारों की स्थिति लंबे समय से चिंताजनक रही है। जेलों में अत्यधिक भीड़-भाड़, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और अमानवीय व्यवहार जैसी समस्याएँ आम हैं जो कैदियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। न्यायालयों ने कई बार अमानवीय और दमनात्मक व्यवहार पर सख्त टिप्पणियाँ की हैं लेकिन व्यावहारिक सुधार में अभी भी कमी देखी जाती है। कैदियों के जीवन का सम्मान और उनकी गरिमा रक्षा करना एक सभ्य समाज की पहचान है। उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य, कानूनी सहायता और पुनर्वास के अधिकारों को सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि वे अपराध पश्चात समाज में पुनः समाहित हो सकें। हालांकि भारत में विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने इस क्षेत्र में सुधार के लिए अनेक आदेश जारी किए हैं, लेकिन जेलों में भीड़ कम करना, विचाराधीन बंदियों की स्थिति सुधारना और मानवाधिकारों की रक्षा करना अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है।

इस शोध में प्रिज़न सिस्टम के वर्तमान हालात, कैदियों के मानवाधिकारों की रक्षा में आ रही बाधाएँ, न्यायिक हस्तक्षेपों की भूमिका और सुधारों की दिशा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही यह अध्ययन सुझाव देगा कि कैसे हमारे प्रिज़न सिस्टम को अधिक मानवीय, प्रभावी और न्यायपरक बनाया जा सकता है ताकि कैदियों को उनके अधिकारों का उचित संरक्षण मिल सके और वे समाज के पुनर्निर्माण में अपना योगदान दे सकें। यह विषय न केवल कानून और मानवाधिकार के शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि सामाजिक न्याय, प्रशासनिक सुधार और नीति निर्धारण के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक है। इस शोध के माध्यम से हम भारतीय जेल प्रणाली में आवश्यक बदलावों की समझ विकसित करेंगे जिससे कैदियों के अधिकारों का सम्मान हो और जेलें पुनर्वास का केंद्र बन सकें।

कैदियों के मानवाधिकार

भारतीय संविधान में कैदियों के मानवाधिकारों का आधिकारिक और संवैधानिक आधार मजबूत और निरंतर विकसित हो रहा है ताकि जेलों में रहने वाले व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा

ISSN: 0030-5324
UGC CARE Group 1

सके। यह अधिकार न केवल उनके मानवीय गरिमाओं से जुड़ा है बल्कि न्याय प्रणाली और मानवाधिकार व्यवस्था का भी अभिन्न हिस्सा हैं।

भारतीय संविधान में कैदियों के अधिकार

मौलिक अधिकार- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 22 तक के प्रावधान जेलों में कैदियों के अधिकारों की आधारशिला बनते हैं।

- अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता का अधिकार जिसके तहत सभी व्यक्तियों को समान न्याय पाने का अधिकार है, जिसमें कैदी भी शामिल हैं।
- अनुच्छेद 19: अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता और अग्रिम वकालत का अधिकार हालांकि कुछ प्रतिबंध जेल व्यवस्था के तहत लगाए जा सकते हैं।
- अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें दंड और हिरासत केन्द्रीय भाग हैं। यह अधिकार जेल में कैदियों के मानवाधिकारों की संरक्षा का मुख्य आधार है।
- अनुच्छेद 22: कानूनी सुरक्षा का अधिकार जिसमें गिरफ्तारी और हिरासत के नियमों का स्पष्ट उल्लेख है।

मानवाधिकार आधारित न्यायिक दलीलें- सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय ने कई फैसलों में स्पष्ट किया है कि कैदियों के मानवाधिकारों का सम्मान संविधान के संरक्षण में है और उन्हें अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार से सुरक्षा मिलनी चाहिए। कर्नाटक व अन्य केस में, न्यायालय ने जेलों में बंदियों के मानवीय अधिकारों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

अंतरराष्ट्रीय मानक और नैतिक दायित्व- भारतीय कानून और न्यायपालिका ने संयुक्त राष्ट्र की नेल्सन मंडेला नियमावली, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की अंतरराष्ट्रीय घोषणा एवं मानवाधिकार से संबंधित अन्य मानदंडों का स्वागत किया है, जो जेल सुधार और मानवाधिकार की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान में कैदियों के मानवाधिकारों का संरक्षण एक संवैधानिक और कानूनी जिम्मेदारी है, जिसकी रक्षा न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायी संस्थाएं मिलकर सुनिश्चित कर रही हैं। यह अधिकार जेल सुधार, मानवीय व्यवहार और पुनर्वास के लिए आधार बनते हैं ताकि जेलें सिर्फ सुरक्षा केंद्र न बनें बल्कि सुधार और पुनःसमाजीकरण का माध्यम भी बन सकें।

ISSN: 0030-5324
UGC CARE Group 1

अंतरराष्ट्रीय न्यायिक मानदंड- अंतरराष्ट्रीय न्यायिक मानदंडों में से एक महत्वपूर्ण और सुविख्यात नियम है "नेल्सन मंडेला नियम"। इन्हें संयुक्त राष्ट्र के मानक न्यूनतम नियमों के संशोधित रूप में 2015 में अपनाया गया था और ये कैदियों के अधिकारों और उनके साथ मानवीय व्यवहार के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ढांचा प्रदान करते हैं। इन नियमों का नाम दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के सम्मान में रखा गया है, जिन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करते हुए जेल में 27 साल बिताए और मानवाधिकारों की आवाज बने। नेल्सन मंडेला नियमों में कैदियों के साथ उचित और सम्मानजनक व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए 122 प्रावधान हैं। ये नियम जेलों में कैदियों की जिंदगी की गुणवत्ता सुधारने, उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और गरिमा की रक्षा करने पर जोर देते हैं। इन नियमों के तहत कैदियों को अत्याचार और यातना से बचाने, उचित चिकित्सा सुविधा देने और पुनर्वास के अवसर उपलब्ध कराने का बुनियादी अधिकार मिलता है।

नेल्सन मंडेला नियम यह भी कहते हैं कि जेल प्रबंधन को कैदियों की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए उनके पुनर्वास और सामाजिक समावेशन को प्राथमिकता देनी चाहिए। एकांत कारावास, यातना और अमानवीय दंड जैसे व्यवहारों को इस नियमावली के तहत सख्त तौर पर मना किया गया है। इसके अतिरिक्त, कैदियों को शिक्षा, पुस्तकालय, व्यायाम और उचित कानूनी सहायता उपलब्ध कराना भी इन नियमों का हिस्सा है। इस प्रकार, नेल्सन मंडेला नियम विश्व के विभिन्न देशों के प्रिज़न सिस्टम के लिए मानकीकृत मानवाधिकारों का मार्गदर्शन करते हैं और भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में भी जेल सुधारों और कैदियों के अधिकारों के संरक्षण में यह एक महत्वपूर्ण मानक बन चुके हैं। यह नियम जेलों में कैदियों के मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करने और जेल प्रशासन को पारदर्शी तथा संवेदनशील बनाने के लिए एक मजबूत आधारशिला प्रस्तुत करते हैं।

भारतीय प्रिज़न सिस्टम का संरचनात्मक स्वरूप

भारतीय प्रिज़न सिस्टम का संरचनात्मक स्वरूप जटिल और बहुसांस्कृतिक देश की विविधताओं के अनुरूप बनाया गया है। भारत में जेल व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन आती है जिसमें अधिकांश जेल राज्यों द्वारा संचालित होती हैं। भारतीय जेल व्यवस्था का मूल आधार 1894 का भारतीय जेल अधिनियम (Indian Prisons Act, 1894) है, जो जेलों के संचालन, प्रबंधन और कैदियों के अधिकारों व जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त, दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), मानवाधिकार कानून और विभिन्न सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी जेल सुधार और कैदियों के अधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जेल अधिनियम कैदियों के संरक्षण, जेलों का प्रशासन और कैदियों की देखरेख के लिए नियम बनाता है।

ISSN: 0030-5324
UGC CARE Group 1

इसमें जेल अधिकारियों के कर्तव्य, बंदियों की सुरक्षा, साफ-सफाई, खान-पान, और व्यायाम जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के प्रावधान शामिल हैं। हालांकि इस अधिनियम को आधुनिक समय के अनुसार संशोधित करने की लगातार मांग होती रही है ताकि यह कैदियों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा कर सके।

वर्तमान में, भारतीय जेलों की स्थिति आमतौर पर चिंताजनक है। अधिकतर जेलों में अत्यधिक भीड़-भाड़ देखने को मिलती है जिसकी वजह से बुनियादी सुविधाओं की कमी हो जाती है। कैदियों के लिए पर्याप्त भोजन, साफ पानी, स्वच्छता, चिकित्सा सुविधाएं और पुनर्वास की व्यवस्था अक्सर पर्याप्त नहीं होती। इन समस्याओं के कारण कैदियों का जीवन कठिन होता है और उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। कई जेलों में सुरक्षा व्यवस्था भी कमजोर होने के कारण अपराध और हिंसा के मामले बढ़े हैं। सरकार और न्यायपालिका इस स्थिति में सुधार के लिए समय-समय पर निर्देश जारी करते हैं और कई सुधारात्मक कदम उठाये जाते हैं जैसे खुले जेल, सुधार गृह, और कैदियों के लिए मनोवैज्ञानिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर देना। लेकिन संसाधनों की कमी और प्रशासनिक समस्याओं के कारण व्यापक सुधार में अभी भी चुनौतियाँ हैं। इसीलिए भारतीय जेल प्रणाली में संरचना के सुधार और बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है ताकि कैदियों के अधिकार सुरक्षित रह सकें और उनकी पुनर्वास प्रक्रिया सुचारु हो सके।

प्रिज़न सिस्टम में मौजूदा चुनौतियाँ

प्रिज़न सिस्टम में मौजूदा चुनौतियाँ अनेक हैं जो कैदियों के मानवाधिकारों और उनके जीवन स्तर को प्रभावित करती हैं। सबसे बड़ी समस्या भारतीय जेलों में अत्यधिक भीड़-भाड़ है। जेलों में कैदियों की संख्या उनकी क्षमता से काफी अधिक होती है जिससे न केवल स्थान की कमी होती है, बल्कि यह स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वच्छता जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में भी बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। भीड़-भाड़ के कारण कैदियों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य खराब होता है और जेल में हिंसा और तनाव की घटनाएं बढ़ जाती हैं। कैदियों के जीवन स्तर की समस्याओं में स्वास्थ्य, भोजन और सुरक्षा प्रमुख हैं। कई जेलों में चिकित्सकीय सुविधाएं अपर्याप्त हैं, जिससे बीमारियों का प्रकोप फैला रहता है। भोजन की गुणवत्ता और मात्रा भी अक्सर संतोषजनक नहीं होती जिससे कैदियों की पोषण संबंधी जरूरतें पूरी नहीं हो पातीं। सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं होती कि सभी कैदियों को हिंसा और दुरुपयोग से बचाया जा सके, खासकर कमजोर और असहाय कैदियों की सुरक्षा और भी बड़ी समस्या बन जाती है।

ISSN: 0030-5324
UGC CARE Group 1

विशेष समूहों जैसे महिलाओं, ट्रांसजेंडरों और मानसिक रोगियों की जरूरतें प्रिज़न सिस्टम में सबसे अधिक अनदेखी की जाती हैं। महिला कैदियों के लिए पृथक सुविधाओं का अभाव है जिससे उनके लिए अलगाव और असुरक्षा की स्थिति पैदा होती है। ट्रांसजेंडर कैदियों को सामाजिक भेदभाव के साथ-साथ जेल में सुरक्षित वातावरण भी नहीं मिलता। मानसिक रोगी कैदियों के लिए चिकित्सा और उचित देखभाल व्यवस्था का अभाव उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इन समूहों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जेल प्रशासन और नीति निर्माताओं को संवेदनशील और समर्पित दृष्टिकोण अपनाना अत्यंत आवश्यक है। इन सभी चुनौतियों का समाधान करना जरूरी है ताकि कैदियों का जीवन सम्मानजनक बने और वे पुनर्वास की दिशा में सही कदम उठा सकें। इसके लिए प्रशासनिक सुधार, संसाधनों में वृद्धि और न्यायिक हस्तक्षेप के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता भी आवश्यक है।

कैदियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन

कैदियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन भारतीय जेल प्रणाली में एक गंभीर समस्या बनी हुई है। जेलों में बंद कैदियों को अक्सर यौन उत्पीड़न, यातना और अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ता है। ऐसी घटनाएं कैदियों की जो मानव गरिमा और अधिकारों का हनन करती हैं वे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालती हैं। इन अनुचित व्यवहारों के खिलाफ उचित सुरक्षा और शिकायत प्रक्रिया की कमी जेलों की स्थिति को और भी दयनीय बना देती है। कानूनी सहायता और अभिगम्यता के मामले में भी कैदियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अनेक कैदी अपने मामलों की सुनवाई के लिए आवश्यक कानूनी समर्थन नहीं पा पाते हैं जिसके कारण उनके अधिकार प्रभावित होते हैं। विशेष रूप से गरीब और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के कैदियों के लिए उचित कानूनी सहायता उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा, जेलों में न्यायिक प्रक्रिया में देरी और लंबित मामलों की संख्या अधिक होने के कारण कैदियों की स्थिति अस्थिर और अनिश्चित बनी रहती है।

लंबित मामलों में कैदियों की स्थिति चिंताजनक होती है क्योंकि वे बिना फैसले के लंबे समय तक जेल में रह जाते हैं। इस परिस्थिति में उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता बाधित रहती है और वे एक तरह से न्याय के अभाव में कैद रहते हैं। इससे मानसिक तनाव, सामाजिक अलगाव और आर्थिक नुकसान जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लंबे समय तक लंबित मामलों के कारण जेलों में भीड़-भाड़ बढ़ती है और संसाधनों पर दबाव भी पड़ता है। इन सभी समस्याओं का समाधान तत्काल आवश्यक है ताकि जेलों में कैदियों के मानवाधिकारों का

ISSN: 0030-5324
UGC CARE Group 1

सम्मान हो सके और वे न्यायिक प्रणाली का सही लाभ उठा सकें। इसके लिए जेल प्रशासन, न्यायपालिका और सरकार को मिलकर प्रभावी कदम उठाने होंगे जिसमें न्यायिक प्रक्रिया को तीव्र बनाना, कानूनी सहायता को आसान और सुलभ बनाना और कैदियों की सुरक्षा के लिए सख्त नियम लागू करना शामिल हैं।

न्यायिक हस्तक्षेप और कोर्ट के आदेश

न्यायिक हस्तक्षेप और कोर्ट के आदेश भारतीय जेल प्रणाली में कैदियों के मानवाधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों ने बार-बार जेलों में कैदियों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सख्त निर्देश दिए हैं और प्रशासन को सुधारात्मक कदम उठाने के लिए बाध्य किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में यह स्पष्ट किया है कि कैदियों को मानवाधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता और उन्हें अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार से सुरक्षित रखा जाना चाहिए। न्यायालयों ने न्यायिक हस्तक्षेप के जरिये जेल सुधार, कैदियों के स्वास्थ्य, भोजन, चिकित्सा सुविधा और कानूनी सहायता सुनिश्चित करने में अहम पहल की है। इसके साथ ही कोर्ट ने जेलों की भीड़-भाड़ कम करने के लिए विशेष उपायों के निर्देश भी जारी किए हैं।

उल्लेखनीय केस स्टडीज में से एक है सनिल बत्रा केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में कैदियों के प्रति अमानवीय और दंडात्मक व्यवहार की निंदा की और कहा कि कैदियों के मानवाधिकारों को मान्यता देना न्यायिक दायित्व है। इस फैसले ने भारतीय जेल प्रणाली में मानवीय सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। एक अन्य महत्वपूर्ण मामला है कृष्णन केस जहां सुप्रीम कोर्ट ने जेलों की भीड़-भाड़ और कैदियों के अधीनस्थ सुविधाओं की कमी पर चिंता जताई और प्रशासन को सुधारात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया। इसके अलावा, तुकराम v. महाराष्ट्र केस ने भी कैदियों की सुरक्षा और उनके मामलों की त्वरित सुनवाई पर ज़ोर दिया। इन निर्णयों ने न केवल जेलों में कैदियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की बल्कि जेल सुधारों के लिए एक मार्ग भी प्रशस्त किया। न्यायपालिका द्वारा जारी निर्देशों और फैसलों के कारण प्रशासनिक स्तर पर जेलों में सुधार की प्रक्रिया तेज हुई है जिससे मानवाधिकारों की रक्षा में मदद मिली है।

प्रिज़न सुधार

प्रिज़न सुधार के संदर्भ में सरकार और अन्य संस्थानों ने अनेक पहलें की हैं जिनका उद्देश्य जेल प्रणाली को अधिक मानवीय, समसामयिक और प्रभावी बनाना है। इन पहलों के माध्यम से कैदियों के अधिकारों की रक्षा करना, उनकी पुनर्वास प्रक्रिया को मजबूत करना और जेलों में बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना प्रमुख लक्ष्य

ISSN: 0030-5324
UGC CARE Group 1

हैं। वर्तमान समय में, मॉडल प्रिज़न एक्ट, 2023 सरकार द्वारा प्रस्तावित एक महत्वपूर्ण कानून है, जिसका उद्देश्य जेलों के संचालन, कैदियों के अधिकारों और पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए एक आधुनिक और व्यापक कानूनी ढांचा स्थापित करना है। इस एक्ट के अंतर्गत कैदियों के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाएँ, चिकित्सा सेवाएं, शिक्षा, और मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के प्रावधान किए गए हैं। साथ ही, इसमें जेल प्रशासन की जवाबदेही बढ़ाने, भ्रष्टाचार रोकने और कैदियों के लिए पुनर्वास योजनाओं को प्रभावी बनाने पर भी विशेष जोर दिया गया है।

खुली जेल और पुनर्वास कार्यक्रमों को भी सुधारों का अहम हिस्सा माना जाता है। खुली जेलें कैदियों को समाज के बीच रहने का अवसर देती हैं जिससे वे अपराध के बाद सामाजिक मिलन और आत्मनिर्भर बनने की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। पुनर्वास कार्यक्रमों में कैदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा और मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है जो उनकी जेल के बाहर की जिंदगी को बेहतर बनाने में सहायक होती हैं। तकनीकी और प्रशासनिक सुधारों के तहत जेलों में डिजिटल रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन कानूनी सहायता, CCTV निगरानी और बेहतर जेल प्रबंधन सॉफ्टवेयर का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। इससे जेल प्रशासन पारदर्शी, जवाबदेह और कुशल बनता है। प्रशासनिक सुधारों में प्रशिक्षण कार्यक्रम, मानव संसाधन विकास और बेहतर संसाधन आवंटन जैसे कदम शामिल हैं जो जेल व्यवस्था को सुधारने में सहायक हैं। इन पहलों के प्रभाव से भारतीय प्रिज़न सिस्टम में धीरे-धीरे सुधार हो रहे हैं लेकिन व्यापक और गहन बदलाव के लिए निरंतर प्रयास और संसाधनों की आवश्यकता बनी हुई है ताकि कैदियों के मानवाधिकारों का पूर्ण संरक्षण हो सके और जेलें पुनर्वास का सशक्त केंद्र बन सकें।

सुधारों में आ रही कठिनाइयाँ और प्रतिकूलताएँ

प्रिज़न सिस्टम में सुधार के प्रयासों के बावजूद कई कठिनाइयाँ और प्रतिकूलताएँ आड़े आती हैं जो कैदियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा और जेलों के बेहतर प्रबंधन में बाधा उत्पन्न करती हैं। सबसे बड़ी समस्या है अधोसंरचना की कमी और बजट सीमाएँ। अधिकतर जेलें पुरानी और अस्वच्छ होती हैं जिनमें कैदियों के रहने के लिए पर्याप्त जगह, स्वच्छता, उचित भोजन और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। बजट की कमी के कारण जरूरी सुधारों को लागू करना अक्सर संभव नहीं हो पाता, जिससे जेलों की स्थिति में सुधार की गति धीमी पड़ जाती है। सिस्टम में भ्रष्टाचार भी एक गंभीर समस्या है। जेल प्रशासन, पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों के बीच भ्रष्ट प्रथाएँ कैदियों के अधिकारों का हनन करती हैं। रिश्वतखोरी, कैदियों के साथ अनुचित

ISSN: 0030-5324
UGC CARE Group 1

व्यवहार और दुरुपयोग की घटनाएं जेलों में आम बात हैं। भ्रष्टाचार के कारण नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाता, जिससे सिस्टम की विश्वसनीयता कमजोर होती है और कैदियों के पुनर्वास की प्रक्रिया प्रभावित होती है।

सामाजिक दृष्टिकोण और मानस भी सुधारों के सामने एक बड़ी चुनौती है। समाज में कैदियों को नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है, जिससे उनके पुनर्समावेश और सुधार की प्रक्रिया जटिल हो जाती है। अक्सर लोग कैदियों को केवल अपराधी के रूप में देखते हैं, न कि ऐसे व्यक्तियों के रूप में जिन्हें न्यायपूर्ण तरीके से पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। यह सामाजिक पूर्वाग्रह न केवल कैदियों के अधिकारों के प्रति उदासीनता पैदा करता है बल्कि नीति निर्माताओं और प्रशासनिक अधिकारियों की भी सोच में बाधा बनता है। इसलिए जेल सुधारों को सफल बनाने के लिए न केवल संरचनात्मक और वित्तीय सुधार जरूरी हैं, बल्कि भ्रष्टाचार को समाप्त करना और समाज की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव लाना भी आवश्यक है। इसके लिए सरकारी प्रयासों के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता, शिक्षा और मानवाधिकार संवर्द्धन की व्यापक पहल की आवश्यकता है ताकि जेलें केवल दंडात्मक केंद्र न रहकर सुधार और पुनःसमाजीकरण के केंद्र बन सकें।

बेहतर प्रिज़न प्रबंधन के लिए सुझाव

बेहतर प्रिज़न प्रबंधन के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए जा सकते हैं जो कैदियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा के साथ-साथ जेल प्रणाली की प्रभावशीलता को भी बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले, मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। इसका मतलब है कि जेल प्रशासन कैदियों को केवल अपराधी के रूप में नहीं बल्कि मानवीय गरिमा वाले व्यक्तियों के रूप में देखे। कैदियों के अधिकारों का सम्मान करना, उन्हें अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार से बचाना और उन्हें उचित चिकित्सा, भोजन, सफाई और सुरक्षा प्रदान करना इस दृष्टिकोण का मूल आधार होना चाहिए। यह दृष्टिकोण जेलों को सुधार और पुनर्वास के केंद्र में बदलने में मदद करता है। दूसरा, न्यायिक प्रक्रिया में भारीपन कम करने के उपाय करना जरूरी है। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का निर्माण, वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्रों का उपयोग और लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी लाना आवश्यक है। इससे न केवल विचाराधीन कैदियों की संख्या कम होगी बल्कि कैदियों को न्याय मिलने में देरी भी नहीं होगी। न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुगमता से कैदियों का भरोसा भी बढ़ेगा। तीसरा, मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जेलों में मानसिक रोगी कैदियों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए उनके लिए विशेष चिकित्सा सुविधाएं, मनोवैज्ञानिक परामर्श और

ISSN: 0030-5324
UGC CARE Group 1

उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही, कैदियों के सामाजिक पुनर्वास के लिए कौशल विकास, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी प्रशिक्षण योजनाएं चलानी चाहिए, जिससे वे जेल के बाद समाज में आत्मनिर्भर बन सकें और पुनः अपराध न करें। इन सुझावों को लागू करने से प्रिज़न प्रबंधन में सुधार होगा, कैदियों के मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी और समाज में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास बनेगा। साथ ही यह जेलों को दंड देने के स्थान से सुधारात्मक और पुनर्समाजीकरण के केंद्र के रूप में स्थापित करेगा।

निष्कर्ष

भारतीय प्रिज़न सिस्टम में सुधार एक बहुआयामी, समेकित दृष्टिकोण द्वारा ही संभव है। वर्तमान जेल व्यवस्था में भीड़-भाड़, अधोसंरचना की कमी, कैदियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन और पुनर्वास की अपर्याप्त व्यवस्था जैसी अनेक समस्याएं हैं। इन्हें दूर करने के लिए केवल प्रशासनिक या कानूनी सुधार पर्याप्त नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता, न्यायिक सक्रियता और समन्वित नीति निर्मिति आवश्यक है। संशोधित प्रिज़न सिस्टम के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और मानवीय दृष्टिकोण को लागू करना अनिवार्य है। इसमें जेलों की भौतिक संरचना को आधुनिक बनाना, तकनीकी सुधार करना, तथा कैदियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और पुनर्वास सुविधाएं सुनिश्चित करना शामिल है। मॉडल प्रिज़न एक्ट, 2023 जैसे कानून इस दिशा में सकारात्मक पहल हैं जो कैदियों के अधिकारों को व्यापक और सशक्त करते हैं।

कैदियों के अधिकारों की रक्षा में न्यायिक और प्रशासनिक भागीदारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका ने समय-समय पर जेल सुधारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं, जिनसे प्रशासनिक स्तर पर सुधारों को लागू करने की प्रेरणा मिली है। प्रशासन को भी कैदियों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी होना चाहिए। न्यायिक प्रक्रियाओं को सरल और द्रुत करने से विचाराधीन कैदियों की स्थिति में सुधार होगा और जेलों की भीड़-भाड़ में कमी आएगी। इस प्रकार, भारतीय प्रिज़न सिस्टम के समेकित सुधार के लिए न्यायपालिका, प्रशासन और समाज को मिलकर काम करना होगा ताकि जेलें केवल दंड देने का स्थान न रहकर सुधार और पुनर्वास के प्रभावी केंद्र बन सकें। इससे कैदियों को उनकी गरिमा और अधिकारों के साथ जीवन यापन का मौका मिलेगा जो अंततः समाज में अपराध की दर कम करने में सहायक होगा।

संदर्भ

- Indian Prisons Act, 1894 और Model Prisons Act, 2023 के प्रावधान, भारत सरकार, गृह मंत्रालय
- Supreme Court cases on Prisoners' Rights: Sunil Batra v. Delhi Administration (AIR 1978 SC 1675), Hussainara Khatoon v. State of Bihar (AIR 1979 SC 1369)
- Nelson Mandela Rules: United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, 2015
- कैदियों के मानवाधिकार: न्यायिक दृष्टिकोण और संरक्षण, Journal of Human Rights and Social Justice, 2023
- भारत में जेल सुधार: नीति, व्यवहार और चुनौतियाँ, Drishti IAS Editorial, 2024
- Prison Reforms Programme, Human Rights Initiative, 2017
- भारत की जेल सांख्यिकी एवं सुधार प्रयास, National Crime Records Bureau (NCRB), 2025 रिपोर्ट
- भारत के न्यायालयों द्वारा कैदियों के अधिकारों की सुरक्षा, Supreme Court of India Judgments, 1970-2025
- सोशल रिसर्च फाउंडेशन: महिला कैदियों एवं जेल व्यवस्था पर शोध पत्र, 2023
- कैदियों के पुनर्वास और मानसिक स्वास्थ्य, Ministry of Home Affairs, India Reports, 2023-2025